

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी (म0प्र0)**  
**फल विक्रय अनुमति**

क्रमांक-2220/एस.डब्ल्यू/2020

सिवनी दिनांक 28 मार्च 2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इसके आवश्यक के उपाय किये जाने हेतु सिवनी जिले में आमजन की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदन अनुसार निम्नानुसार फल व्यवसायियों को जनसामान्य की मांग अनुसार निर्धारित फलों की घर पहुँच सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है । जनसामान्य अपने नजदीकी दुकानदारों से व्हाटसेप/मोबाईल से सम्पर्क कर होम डिलेवरी हेतु सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक आर्डर लिखा सकेगें, दुकानदार प्राप्त आर्डर की सामग्री दोपहर 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक संबंधित व्यक्ति को घर पर डिलेवरी देना सुनिश्चित करेंगे। गलत या भ्रामक आर्डर करने व्यक्तियों, जमाखोरी करने वाले, निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :-


क्र0	दुकान का नाम एवं पता	मोबाईल नं0
1	श्री जगदीश दुबे (फल विक्रेता), लखनादौन	7581811911
2	मो. हैदर शाह	9179641986
3.	मो. सफदर शाह	8085089725
4.	मो. मुजाहिद शाह	9981657030
5	श्रीमती आशा गौर	9301067935
6	श्री गोपाल प्रसाद यादव	9424904343
7	श्री अनिल गोखले	8871611496
8	श्री प्रशांत भारद्वाज	9407046796
9	श्री महेश सनोडिया	6263012266
10	श्री सूरज गुप्ता	9981361504
11	श्री हीरालाल राव	908011216
13	श्री अनवर हुसैन	9981656979
14	श्री इमरान खान	9425446520
15	शेख मोहम्मद	8827574776
16	श्री आसिफ खान	9424228887
17	श्री ताहिर खान	9302668731
18	मो. मेराज खान	9893351065
19	श्री राजा अली	7869216817
20	श्री शोयेब आमिर	9893457846
21	श्री प्यारे खां	9302431184
22	शेख हमीद	9981337793
23	श्री अशफाख कुरैशी	9165858624
24	श्री मो.सुलेमान	9329949331
25.	श्री फिरदौस खान	9179332796
26.	श्री पीरु खां	9755272842

27.	श्री अफजल	7000319633
28.	श्री मुजाहिद	9981657030
29.	श्री सफदर	8085089725
30.	श्री सोहेब	9893457846
31.	मो. हैदर	9179641986
32.	मो. शाहरुख	9131423277
33.	श्री राधेश्याम	9399082908
34.	श्री हलीम	9425175863

उपरोक्तानुसार व्यवसायिकों को निर्देशित किया जाता है कि जनसामान्य से मोबाईल पर प्राप्त मांग अनुसार फल निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- नोट:-
01. होम डिलेवरी हेतु प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को इस आदेश की प्रति अपने पास अनिवार्य रूप से रखनी होगी।
  02. जारी किये गये पास अनिवार्य रूप से डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखना होगा।
  03. व्यापारीणों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ फोन पर आर्डर प्राप्त कर मोटरसाईकिल से डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
  04. प्रत्येक कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं लगाई जावेगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


  
(प्रवीण सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
सिवनी

सिवनी दिनांक 28 मार्च 2020

पृ0 क्रमांक- 22204/एस.डब्ल्यू/2020  
प्रतिलिपि :-

- 1- पुलिस अधीक्षक, सिवनी
- 2- समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।
- 3- समस्त तहसीलदार जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।
- 4- सर्वसंबंधित ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
कलेक्टर एवं जिला  
दण्डाधिकारी  
सिवनी